भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4115
सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947 (शक)

कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी

4115. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माणकर्ताओं/फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों/कामगारों को मजदूरी/वेतन का भुगतान न किए जाने की नियमित रिपोर्ट प्राप्त होती हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) क्या यह सच है कि ऐसे ठेकेदार/फर्म अपने कर्मचारियों/कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी नहीं करते हैं और यदि हां, तो सरकार के संज्ञान में आए ऐसे मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ऐसी कितनी शिकायतों के चालान जारी किए गए हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिसमें शिकायत निवारण के पश्चात वेतन/मजदूरी का पूरा भुगतान कर दिया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं।

केंद्रीय क्षेत्र में, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तन किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन को राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और यदि वेतन/न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने या कम भुगतान करने का कोई मामला सामने आता है, तो वे नियोक्ताओं को शेष वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न करने की स्थिति में, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 17 क और 20 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के अंतर्गत विहित दंडात्मक उपबंधों का प्रयोग किया जाता है।

केंद्रीय क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ठेकेदारों/फर्मों द्वारा वेतन का भुगतान न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या, ऐसी शिकायतों की संख्या जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा चालान जारी किए गए और शिकायत के उपरांत समाधान के रूप में मजदूरी/वेतन का पूर्ण भुगतान किए गए मामलों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है। तथापि, राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रवर्तन का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*

*****

अनुबंध

"कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी" के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए दिनांक 18/08/2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4115 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष	**ठेकेदार या फर्म द्वारा वेतन के भुगतान के संबंध में प्राप्त शिकायतों/दावों की संख्या**	**उक्त शिकायतों में से ऐसी शिकायतों की संख्या जिनमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चालान जारी किए गए हैं**	**ऐसे मामलों की संख्या जहां शिकायत/दावा समाधान के बाद पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया है**
2020-21	2859	102	1346
2021-22	3222	125	1347
2022-23	3698	111	1618
2023-24	4240	132	2451
2024-25	2680	90	1680
2025-26 (जुलाई, 2025 तक)	1192	44	397
***सभी 20 क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आँकड़े**			

*****